

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 18]

नई दिल्ली, अप्रैल 27—मई 3, 2014, शनिवार/वैशाख 7—वैशाख 13, 1936

No. 18]

NEW DELHI, APRIL 27—MAY 3, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 7—VAISAKHA 13, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 83.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

1683 GI/2014 (449)

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

	,		अनुसूची			
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	के लिए आयु-सीमा	
			वेतनमान			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
उप निदेशक	*02 (2014)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-3,	चयन	लागू नहीं होता	
(हिंदी टंकण और	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'क',	15600—			
हिंदी आशुलिपि)	आधार पर	राजपत्रित,	39100₹			
_	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	+ ग्रेड वेतन			
	जा सकता है ।	_	6600₹			
•	। वाले व्यक्तियों के लि	•	र्गी किए जाने वाले व्र		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
अपेक्षित शैक्षिक औ	ार अन्य अर्हताएं		विहित आयु और शै			
		•	प्रोन्नत व्यक्तियों की	दशा		
		में लागू	होंगी			
(7)			(8)		(9)	
लागू नहीं होता र		ला	नागू नहीं होता लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या			प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	/आमेलन द्वारा भर्ती	की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/	
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	द्वारा तथा विभिन्न पद्धी	तेयों द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	न किया जाएगा		
भरी जाने वाली रिवि	म्तयों की प्रतिशतता					
(10)			(11)			
प्रोन्नित	। द्वारा		प्रोन्नति :			
					00 ₹ ग्रेड वेतन की श्रेणी में ऐसे सहायक , जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के	
			पश्चात् उस श्रेणी मे	•		
					ों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके	
			चनता तना नूरा कर	्ता ए, जागाप का	राद्राचनार किया जा रहा हा, नहा उनक	

(11)

ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी पिरविक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से
	परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित सिमिति (प्रोन्नित के	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
संबंध में विचार करने के लिए) :—	
1. सचिव, राजभाषा विभाग — अध्य	क्ष
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग —सदस्य	ſ
3. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य	ī

[फा. सं. 14034/57/2009-राभा (प्रशि.)] सरज भान, निदेशक (प्रशिक्षण)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 25th April, 2014

- G.S.R. 83.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Deputy Director (Hindi Typewriter and Hindi Stenography) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) in the Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Deputy Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Deputy Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Educational and oth	02*(2013) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'A Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, ₹ 15600— 39100 plus Grade Pay of ₹ 6600	Selection cational Period o	Not applicable of probation, if any	
direct recruits	1	qı di	ualifications prescrib frect recruits will app ase of promotees	ped for	1 / 2	
(7) Not applicable			(8)		(9)	
			Not applicable	Not app	licable	
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		deputation/	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
(10)			(11)			
By promotion			in the Pay Band-3₹	(Hindi Typewriting and 15600—39100 with Gervice in the grade render to basis.	rade Pay ₹ 5400 with	

(11)

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, wits composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(12)		(13)	
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for	Consultation with Union Public Service Commission	
considering promotion):—		not necessary.	
	—Chairman		
Language			
2. Joint Secretary (Official Language), -	—Member		
Department of Official Language			
3. Director, Central Hindi Training Institute -	—Member		

[F. No. 14034/57/2009-OL (Trg.)] SURAJ BHAN, Director (Training)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 84.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना (चपरासी) भर्ती नियम, 1990, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना (सफाईवाला सह फर्राश) भर्ती नियम, 2002, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (गैस्टेटनर आपरेटर) भर्ती नियम, 2002, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (गैस्टेटनर आपरेटर) भर्ती नियम, 2002, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (दफ्तरी) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना में बहु-कार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, बहु-कार्य कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की सिंविदा की है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज़ेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द	98* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बेंड-1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थिय से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीराज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिल के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबा द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
					टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीम अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगा कार्यालयों से नाम भेजने को कहा गया है

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुत उत्तेर्ण या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त समतुल्य से बिजली मिस्त्री इलैक्ट्रोनिक्स या नलसाज ट्रेड में परीक्षा उत्तेर्ण की है वांछनीय: हल्के मोटर यान चालन में अनुज्ञप्ति।	या या	

भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रोन्नित/प्रितिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/प्रितिनयुक्ति/आमेलन किया जाएगा
भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(10)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से

परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित सिमिति (पुष्टि पर विचार

लागू नहीं होता ।

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्ति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- 1. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष
- अवर सचिव (सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा —सदस्य नामर्निदिष्ट) राजभाषा विभाग
- निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा —सदस्य नामर्निदिष्ट ऐसा अधिकारी जो उप निदेशक से नीचे पंक्ति का न हो)
- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कोई प्रतिनिधि सदस्य जो कार्यपालक इंजीनियर से नीचे पंक्ति का न हो ।

हिन्दी शिक्षण योजना (प्रादेशिक कार्यालय मध्योत्तर क्षेत्र से बाहर):—

- 1. उप निदेशक (संबद्ध), हिन्दी शिक्षण योजना —अध्यक्ष
- निदेशक, केन्द्रीय, हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा —सदस्य नामर्निर्दिष्ट किए जाने वाला क्षेत्र में सहायक निदेशक

(12)

 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कोई प्रतिनिधि —सदस्य जो कार्यपालक इंजीनियर से नीचे पंक्ति का न हो ।

> [फा. सं. 14034/34/2010-राभा (प्रशि.)] सरज भान, निदेशक (प्रशिक्षण)

New Delhi, the 25th April, 2014

- G.S.R. 84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Official Language, Peon (Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme), Recruitment Rules, 1990, the Department of Official Language Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme (Chowkidar) Recruitment Rules, 1997, the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme (Safaiwala-cum-Farash) Recruitment Rules, 2002, the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme (Gestetner Operator) Recruitment Rules, 2002 and the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme (Daftry) Recruitment Rules, 2008, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Ministry of Home Affairs, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	98* (2014) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹5200— 20200 with Grade Pay of ₹1800	Not applicable	Between 18 and 25 years. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)	(8)	(9)	
Essential: Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or pass in electrician or electronics or plumber trade from a recognised Industrial Training Institute or equivalent recognised by the Government. Desirable: Licence to drive Light Motor Vehicle.	Not applicable	Two years	

rec	ethod of recruitment: Whether by direct ruitment or by promotion or by deputation/corption and percentage of the vacancies be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made			
	(10)		(11)		
	By direct recruitment		Not applicable		
	Departmental Promotion Committee exists, what is it in a specific mposition	ts	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
	(12)		(13)		
	oup 'C' Departmental Confirmation Committee (for asidering confirmation) consisting of :—	r	Not applicable.		
	Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching neme (North-Central Region)				
1.	Director, Central Hindi Training —Cha Institute	airman			
2.	Under Secretary, (to be nominated by the —Me Secretary (Official Language)	ember			
3.	An officer to be nominated by Director, Central Hindi Training Institute not below the rank of Deputy Director, Central Hindi Training Institute.	ember			
4.	A representative of Central Public Works Department not below the rank of Executive Engineer	ember			
	Hindi Teaching Scheme (Regional Offices, Outside rth-Central Region).				
1.	Deputy Director (Concerned) Hindi Teaching — Scheme	-Chairman			
2.	Assistant Director in the region Nominated by Director, Central Hindi Training Institute.	Member			
3.	A representative of Central Public Works Department not below the rank of Executive Engineer	Member			